



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 427 राँची, सोमवार, 10 आषाढ़, 1946 (श०)
1 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 मई, 2024

संख्या 03/नि०स० 09-102/2014 का. 3558--श्री शंकर यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 578/03) W.P.(S) No.1416/2022 शंकर यादव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22/11/2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2047 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा उन्हें अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में दिनांक 19.05.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रदत्त प्रोन्नति को दिनांक 17.08.2011 के प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में परिवर्तित करते हुए दिनांक 02.11.2015 के प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में, दिनांक 27.07.2018 के प्रभाव से अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि में तथा दिनांक 30.10.2019 के प्रभाव से विशेष सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया ।

2. W.P.(S) No. 1416/2022 शंकर यादव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.11.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"Considering the aforesaid submission, this writ application is being disposed of directing the petitioner to file a detailed representation annexing all the documents, which the petitioner is relying before Respondent No. 2 the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasa, Jharkhand, preferably within four weeks from today. On receipt of such representation. Respondent No. 2 will consider the case of the petitioner and will dispose of the same by a reasoned order within a period of eight weeks from the date of receipt of the representation alongwith a copy of this order.

If it is found that the petitioner is entitled for any relief, as claimed, the same should be extended to him immediately. If any part of the claim of the petitioner is rejected, the reasons there of. should also be communicated to the petitioner within the aforesaid period.

With the aforesaid observation and direction, this writ application stands disposed of."

3. सेवाकाल में श्री यादव के विरुद्ध संकल्प संख्या 6200 दिनांक 19.11.2008 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प संख्या 5418 दिनांक 10.09.2011 के द्वारा निन्दन, दो वेतनवृद्धि पर अंशयात्मक प्रभाव से रोक तथा तीन वर्ष तक प्रोन्नति बाधित का दण्ड अधिरोपित किया गया था ।

4. श्री यादव के विरुद्ध उपरोक्त विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के दौरान दिनांक 09.08.2011 एवं 11.08.2011 को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री यादव के संबंध में मुहरबंद लिफाफा की प्रक्रिया अपनाई गई। उक्त बैठक का लिफाफा संबंधित संचिका में उपलब्ध नहीं है ।

5. विभागीय संकल्प संख्या 5418 दिनांक 10.09.2011 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री यादव के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No. 4970/2013 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 13.07.2017 को पारित न्यायादेश में दण्ड को निरस्त कर दिया गया।

6. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में LPA No. 157/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18.12.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में दण्ड संकल्प को निरस्त कर दिया गया ।

7. एक अन्य मामले में श्री यादव के विरुद्ध दर्ज कोडरमा थाना कांड संख्या 250/2008, जी०आर० वाद संख्या 409/2008 दर्ज रहने के फलस्वरूप दिनांक 24.04.2015 एवं दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि

में प्रोन्नति पर विचार किया गया, जिसमें श्री यादव के संबंध में समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफा की प्रक्रिया अपनाई गई। मुहरबंद लिफाफा में श्री यादव के संबंध में “प्रोन्नति के योग्य” की अनुशंसा की गई।

8. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोडरमा द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पारित आदेश में श्री यादव को कोडरमा थाना कांड संख्या 250/2008, जी०आर० वाद संख्या 409/2008 में आरोप मुक्त किया गया।

9. उपरोक्त दोनों मामलों में दण्ड संकल्प को निरस्त किए जाने/आरोप मुक्त किए जाने के पश्चात श्री यादव ने उनसे कनीय पदाधिकारी को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी सभी देय प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 17.03.2021 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

10. श्री शंकर यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-578/03) से कनीय श्री सुरेश कुमार दुदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-581/03) को दिनांक 09.08.2011 एवं 11.08.2011 की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4833 दिनांक 17.08.2011 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

11. उक्त बैठक से संबंधित मुहरबंद लिफाफा उपलब्ध नहीं रहने के फलस्वरूप न्यायादेश में आरोप मुक्त किए जाने के क्रम में दिनांक 24.04.2015 को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री यादव के संबंध में मुहरबंद लिफाफा में किए गए अनुशंसा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 2047 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा श्री यादव को दिनांक 19.05.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।

12. तदोपरांत श्री यादव के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P. (S) No. 1416/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.11.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री यादव ने उपरोक्त दोनों मामलों में दण्ड संकल्प को निरस्त किए जाने/आरोप मुक्त किए जाने का उल्लेख करते हुए उनसे कनीय पदाधिकारी को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी सभी देय प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

13. अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.08.2011 एवं 11.08.2011 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हेतु विचारण सूची के क्रमांक 49 पर श्री यादव का नाम अंकित है। उपरोक्त विचारण सूची के अनुसार:-

(I) वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक की श्री यादव की चारित्री अभिलिखित नहीं है।

(II) श्री यादव के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 6200 दिनांक 19.11.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित होने तथा कोडरमा थाना कांड संख्या 250/08 में अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि (न्याय) विभाग को संचिका पृष्ठांकित किये जाने का उल्लेख है।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त बैठक की कार्यवाही की कंडिका । (III) में विभागीय परिपत्र संख्या 7444 दिनांक 30.04.1979 की कंडिका 19 के आलोक में चारित्री के अभाव में पदाधिकारी की प्रोन्नति बाधित नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।

15. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No.4970/2013 में दिनांक 13.07.2017 या L.PA No. 157/2018 में दिनांक 18.12.2019 को पारित न्यायदेश में श्री यादव के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 6200 दिनांक 19.11.2008 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प संख्या 5418 दिनांक 10.09.2011 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया गया है। साथ ही, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोडरमा द्वारा कोडरमा थाना कांड संख्या 250/08 में श्री यादव को आरोप मुक्त किया गया है ।

16. श्री शकर यादव, सेवानिवृत्त झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-578/03) से कनीय पदाधिकारी श्री सुरेश कुमार दुदानी झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 581/03) को प्रदत्त प्रोन्नति की विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	कोटि	वेतनमान	तिथि
i	ii	iii	iv
1	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39,100-ग्रेड-पे 7600/ पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-12	अधिसूचना संख्या 4833 दिनांक 17.08.2011
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13	अधिसूचना संख्या 9578 दिनांक 02.11.2015
3	अपर सचिव कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13	अधिसूचना संख्या 5649 दिनांक 27.07.2018
4	विशेष सचिव कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8900/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13A	अधिसूचना संख्या 8703 दिनांक 30.10.2019

17. उक्त सभी पदों पर श्री सुरेश कुमार दुदानी झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 581/03) प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से देय है ।

18 अतः वर्णित तथ्यों के सम्यक समीक्षोपरांत W.P. (S) No. 1416/2022 में दिनांक 22.11.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री शंकर यादव, सेवानिवृत्त झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 578/03) को उनसे कनीय श्री सुरेश कुमार दुदानी झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 581/03) को विभिन्न कोटियों में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से निम्न तालिका के स्तम्भ-iv में अंकित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	कोटि	वेतनमान	तिथि
i	ii	iii	iv
1	अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान-PB-III 15,600-39100-ग्रेड-पे 7600/ पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-12	दिनांक 17.08.2011
2	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13	दिनांक 02.11.2015
3	अपर सचिव कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13	दिनांक 27.07.2018
4	विशेष सचिव कोटि	अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37,400-67,000-ग्रेड-पे 8900/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13A	दिनांक 30.10.2019

19. उपर्युक्त क्रमांक-1 में दी गई संशोधित प्रोन्नति की तिथि एवं क्रमांक- 2, 3 एवं 4 में दी गई प्रोन्नति की तिथि से झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में बकाया वेतन देय नहीं होगा ।

20. श्री यादव को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 2047 दिनांक 31.03.2021 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
